उपखण्ड अधिकारी
 शिव (बाड़मेर)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री हनुमानाराम, RAS)

राजस्व आवेदन संख्या **150/2024** अन्तर्गत धारा **131, 136** RLR Act

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. नाथू पुत्र दोसू 2. अमीर पुत्र हाजी आलदाद जाति मुसलमान, निवासी भमुते की ढाणी हाल निवासी मूढणों की ढाणी तहसील शिव, जिला बाड़मेर		राज0 राज्य जरिये तहसीलदार शिव

उपस्थित :— अधिवक्ता प्रार्थीगण :— श्री नरेन्द्रसिंह सियाग।

—:: <u>आदेश</u> ::—

दिनांक : 13.12.2024

प्रार्थीगण के आवेदन पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि प्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी का खेत मौजा वीर तेजाजी नगर प्रथम, तहसील शिव के खसरा नम्बर 361/173 रकबा 4.8967 हैक्टेयर तथा प्रार्थी संख्या 2 का खेत खसरा नम्बर 360/173 रकबा 4.9048 हैक्टेयर का आया हुआ है। उक्त विवादित आराजी के खसरा नम्बर का सृजन मूल खसरा नम्बर 173 के विभाजित होने से हुआ है। उक्त विवादित आराजी शिव से फलसुण्ड जाने वाली डामर सड़क पर आई हुई होने से प्रार्थीगण का सड़क पर आने वाला रकबा बराबर रखना था किन्तु हल्का पटवारी द्वारा रकबा व तरमीम कम अंकित कर दी गई, जबकि प्रार्थीगण सड़क पर आई हुई भूमि पर बराबर काबिज काश्त है। किन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा लट्ठा नक्शा में बिना मौका मुआयना किये तथा कब्जा काश्त की बिना जांच किये गलत तरमीम कर दी गई, जिसे उक्त गलत तरमीम से लट्ठा ट्रेस की तरमीम एवं मौके पर कब्जा काश्त की स्थिति में भारी भिन्नता आ गई है। उक्त गलत तरमीम से पक्षकारान् का कब्जा काश्त प्रभावित हो रहा है तथा संपरिवर्तन करवाने में परेशानी आ रही है, जिससे दुरस्त किया जाना आवश्यक है। वर्तमान मे जब प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी की नकल प्राप्त की, तब ज्ञान हुआ कि उसकी खातेदारी की मौके पर कब्जा काश्त एवं लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीम में भारी भिन्नता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा उक्त विवादित आराजी के खसरा नम्बर 361/173 व 360/173 में राजस्व रेकर्ड के लट्ठा ट्रेस में की गई त्रूटिपूर्ण तरमीम को निरस्त करवाते हुए वर्तमान में मौके पर पक्षकारान् के माफिक कब्जा काश्त अनुसार तरमीम दुरस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण की जरिये नोटिस तामिली करवाई गई। तहसीलदार शिव से वर्तमान मौका स्थिति के संबंध में तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट तलब की जाकर प्राप्त की गई। तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर मौतबिरान के रूबरू जांच की गई, जिसमें मौके पर विद्यमान कब्जा काश्त अनुसार एवं वर्तमान लट्ठा नक्शा में अंकित तरमीम में भिन्नता है। मौका स्थिति अनुसार खसरा नम्बर 361/173 रकबा 4.8967 हैक्टेयर का दो टुकड़ों में विभाजन होगा, जिसका रकबा क्रमशः 4.8400 हैक्टेयर व 0.0567 हैक्टेयर होगा। उक्त विवादित आराजी के लट्ठा नक्शा एवं मौका स्थिति का मिलान करने पर प्रार्थीगण के मौके पर कब्जा काश्त को मध्यनजर रखते हुए उपस्थित मौतबिरान एवं प्रभावित पक्षकारान् द्वारा मौका फर्द के संलग्न प्रस्तावित नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरस्त किये जाने बाबत् सहमति प्रदान की गई है।

प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए विवादित आराजी के लट्ठा नक्शा मे विद्यमान तरमीम को निरस्त किया जाकर तहसीलदार शिव से प्राप्त

उपखण्ड अधिकारी, शिव जिला-बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

Scanned with OKEN Scanner

तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट अनुसार रकबा संशोधन किया जाकर मौका रिपोर्ट के संलग्न प्रस्तावित नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरस्ती का आदेश किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया। चूंकि प्रार्थीगण द्वारा विवादित आराजी के लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीम को निरस्त कर वास्तविक मौका स्थिति व कब्जा काश्त अनुसार तरमीम दुरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है। तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के संलग्न प्रस्तावित नक्शा अनुसार तरमीम दुरस्ती पक्षकारान् के मौके पर कब्जा काश्त अनुसार होने पर प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा स्वीकार किया जाकर सहमति प्रदान की गई है। मौका स्थिति अनुसार खसरा नम्बर 361/173 रकबा 4.8967 हैक्टेयर का दो टुकड़ों में विभाजन होगा, जिसका रकबा क्रमशः 4.8400 हैक्टेयर व 0.0567 हैक्टेयर होगा। उक्त विवादित आराजी के लट्ठा नक्शा एवं मौका स्थिति का मिलान करने पर प्रार्थीगण के मौके पर कब्जा काश्त को मध्यनजर रखते हुए उपस्थित मौतबिरान एवं प्रभावित पक्षकारान् द्वारा मौका फर्द के संलग्न प्रस्तावित नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरस्त किये जाने बाबत् सहमति प्रदान की गई है। अतः उक्त स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी का रकबा संशोधन व तरमीम तद्नुसार मौके पर कब्जा काश्त अनुसार दुरस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम वीर तेजाजी नगर प्रथम, तहसील शिव में प्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी के खसरा नम्बर 361/173 रकबा 4.8967 हैक्टेयर तथा प्रार्थी संख्या 2 के खातेदारी खसरा नम्बर 360/173 रकबा 4.9048 हैक्टेयर भूमि की लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीम निरस्त करते हुए तथा खसरा नम्बर 361/173 का रकबा संशोधन करते हुए रकबा क्रमशः 4.8400 व 0.0567 हैक्टेयर किया जाकर तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के साथ संलग्न प्रस्तावित नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार शिव को तद्नुसार रकबा संशोधन व तरमीम दुरस्ती सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है। बैंक हित उक्त आदेश से अप्रभावित रहेंगे। तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के संलग्न प्रस्तावित नक्शा परिशिष्ट 'ब' इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

उपखण्ड अधिकारी, शिव
जिला-बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 13.12.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)